



UPSN010006872026

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.

(अत्याचार निवारण) अधिनियम, भदोही-ज्ञानपुर।

उपस्थित :- (डॉ० अमित वर्मा ) आई.डी.-यू.पी. 2412

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-229/2026

राजू उर्फ शाहिद अली पुत्र मोहम्मद अली, निवासी ग्राम मकान नंबर 177

जे.के. नगर करेली थाना करेली जिला प्रयागराज

...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...अभियोजन

मु०अ०सं०-115/2025

धारा-316(2), 352 बी०एन०एस० व

धारा-3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट

थाना-औराई, जिला-भदोही।

**दिनांक 10.03.2026**

1. नियमित जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। प्रार्थी/अभियुक्त राजू उर्फ शाहिद अली पुत्र मोहम्मद अली, निवासी ग्राम मकान नंबर 177 जे.के. नगर करेली थाना करेली जिला प्रयागराज के जमानत प्रार्थना पत्र सम्बंधित मु०अ०सं०-115/2025, धारा- 316(2), 352 बी०एन०एस०, धारा- 3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना-औराई, जिला-भदोही पर सुना गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। यह कि अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी के पति प्रदीप कुमार पासी को विदेश भेजने के लिए मोहम्मद खालिद व राजू उर्फ शाहिद अली पुत्रगण मोहम्मद अली, निवासी ग्राम-मकान नं०-177 जे०के० नगर करैली, थाना-करैली, जनपद-प्रयागराज दिसम्बर 2023 में वादिनी के घर आये तथा वादिनी के पति प्रदीप कुमार से बात किये की 02,00,000/- रूपया (दो लाख रूपया) दे दो विदेश भेजवा दूँगा, ए०सी० व कूलर बनाने वाले कम्पनी में भेजवा दूँगा। इसके एवज में 02,00,000/- रूपया (दो लाख रूपया) लगेंगे। वादिनी गरीब होने के कारण पति ले दे कर किस्त में 02,00,000/- रूपया (दो लाख रूपया) देने के लिए तैयार हो गये प्रार्थिनी के घर पर उक्त लोग दिनांक 21.03.2024 को सुबह आये प्रार्थिनी ने मोहम्मद खालिद, खाता भारतीय स्टेट बैंक नम्बर 402283X X X X X में 05.04.2024 को 25,000/- रूपया व 03.04.2024 को 30,000/- रूपया व इसी खाते में 2,000/- रूपया तथा फोन नम्बर 63883 XXXXX में दिनांक: 05.04.2024 को 20,000/- रूपये फिर खाता संख्या-402283X X X X X में मु०-30.000/- रूपये व दिनांक: 30.04.2024 को इसी खाते में 30,000/- व दिनांक: 13.05.2024 को 20,000/- इसी खाते में दिनांक 25.07.2024 को 4000/- रूपया भेजवाया था। परन्तु आज तक वादिनी के पति को विदेश नहीं भेजवा पाये और कपटपूर्ण धोखा देने के मंशा से प्रार्थिनी का रूपया हड़प लिये

यहां तक मु0-50,000/- रूपया नकद भी प्रार्थिनी मोहम्मद खालिद के भाई राजू उर्फ शाहिद अली को दिये है। जिनकी प्रयागराज करैली में राज इलेक्ट्रानिक नाम से दुकान भी है। प्रार्थिनी के घर पर दिनांक: 12.01.2025 को फिर उक्त लोग आये और कहे कि 1,00,000/- रूपया और दो तब वीजा बनवाकर देंगे। और प्रार्थिनी ने कहा कि 2,00,000/- रूपये से अधिक ले लिये हो और फर्जी वीजा व फर्जी टिकट बनवाकर भेजे है। 1,00,000/- रूपये और नहीं दूँगी मेरा जितना पैसा लिये हो दे दिजिए तभी जाना इसी पर पुलिस वालों को बुलाये पुलिस आये उनलोगो को लिवाकर गयी और पुलिस और उक्त लोग कहे कि 15 दिन में उक्त रूपया दे देंगे और अब फोन नहीं उठा रहे है। प्रार्थिनी को दिनांक 12.01.2025 को पासिन साली, माँ बहन की गाली दिये और कहे कि अतीक अहमद के आदमी है कोई कुछ नहीं कर पायेगा। जिसकी सूचना औराई में दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। थक हार कर प्रार्थिनी पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद भदोही को जरिये डाक से सूचना दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार एक झूठी कहानी की रचना की गयी। यह कि वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्त/प्रार्थी को कोई 50,000/- रूपये नकद न दिये, न उसके लेन-देन मे कभी सम्मिलित रहा और न कभी अभियुक्त/प्रार्थी उनके गाँव में गया न तो दिनांक 12.01.2025 को कोई धमकी दिया, न ही गाली गुसा दिया मात्र अभियुक्त/प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की नियत से अभियुक्त/प्रार्थी को नामित किया गया है। यह कि वादिनी द्वारा झूठा आरोप लगाकर अभियुक्त/प्रार्थी को बदनाम करने की नियत से झूठा आरोप लगाकर बदनाम किया गया। यह कि वादिनी मुकदमा द्वारा पैसा देने का झूठा आरोप लगाया गया है। प्रार्थी न तो वादिनी से कोई विदेश में नौकरी दिलाने की कोई बात किया न तो वादिनी व उसके पति को जानता है मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से और प्रार्थी से रूपये ऐठना चाहती है न देने पर इस प्रकार का झूठा आरोप लगाया गया है। यह कि वादिनी नें अपने कथन में कहा है कि प्रार्थी व उसके भाई राजू उर्फ शाहिद अली को 2,00,000/- रूपये दिया गया है बिल्कूल झूठा व गलत है। यह कि अभियुक्त/प्रार्थी सीधा-सादा व्यक्ति है, अभियुक्त/प्रार्थी व वादिनी के मध्य लगभग दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर है वादिनी न तो अभियुक्त/प्रार्थी की रिश्तेदार है और न जानने वाली है। प्रार्थिनी झूठा व गलत आरोप लगाकर अभियुक्त/प्रार्थी को बदनाम करना चाहती है। यह कि अभियुक्त/प्रार्थी न तो वादिनी के घर गया न तो प्रार्थिनी को कोई धमकी दिया न गाली गुसा दिया सम्पूर्ण कथानक वादिनी झूठा है। यह कि अभियुक्त/प्रार्थी द्वारा कोई अमानत व खयानत नहीं किया गया है। यह कि प्रार्थी के ऊपर लगाये गया धारायें एस०सी० /एस०टी० को छोड़कर मजिस्ट्रेट द्वारा परिक्षणीय है। यह कि अभियुक्त/प्रार्थी समन पर हाजिर है, अपनी जमानत मुचलका देने को तैयार है। जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। विचारण में पूरी सहयोग करेगा। यह कि प्रार्थी को उचित जमानत मुचलका पर रिहा किया जाना न्याय की दृष्टि में आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को उचित जमानत मुचलका पर रिहा किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

3. अभियोजन कथानक अनुसार प्रार्थिनी के पति प्रदीप कुमार पासी को विदेश भेजने के लिये मोहम्मद खालिद व राजू पुत्रगण मोहम्मद अली साकिन मकान नम्बर 177 जे.के. नगर करैली, मुन्ना मस्जिद के पास थाना करैली जिला प्रयागराज दिसम्बर सन 2023 मे प्रार्थिनी के घर पर आये और प्रार्थिनी के पति प्रदीप कुमार से बात किये कि दो

लाख रुपया दीजिए विदेश भेजवा देवेगे। जहाँ पर ए.सी. व कुलर बनवाने वाले कम्पनी में कार्य करने हेतु भेजवा दूंगा। इसके एवज में दो लाख रुपया लेगे। प्रार्थिनी गरीब होने के कारण प्रार्थिनी के पति ले देकर किशत में दो लाख रुपया देने के लिये तैयार हो गये। प्रार्थिनी के घर पर उक्त लोग दिनांक 21.3.24 की सुबह आये तब प्रार्थिनी ने मोहम्मद खालिद के खाता भारतीय स्टेट बैंक नम्बर 40228351996, में 30000 / रुपया व दिनांक 3.4.2024 को इसी खाते में 2000 रुपया व फोन नम्बर 6388346028 में दिनांक 5.4.2024 को 25000 रुपया व इसी फोन में 5.4.2024 को 20000/रुपया व दिनांक 11.4.2024 को खाता नम्बर 40228351996 में मु0 30000/रुपया व दिनांक 13.4.2024 को इसी खाते में 20000/रुपया व दिनांक 13.05.2204 को इसी खाते में मु0 20000 रुपया व इसी खाते में दिनांक. 25.7.2024 को 4000 रुपया मनी ट्रांसफर करने वाले से भेजवाया परन्तु आज तक प्रार्थिनी के पति को विदेश नौकरी हेतु नहीं भेजवा पाये और कपटपूर्वक व धोखा देने की मंशा से प्रार्थिनी का रुपया हड़प लिये है यहाँ तक मु० 50000 रुपया नगद भी प्रार्थिनी के पति मो खालिद के भाई राजू को दिये है जिनकी प्रयागराज करैली में राज इलेक्टानिक नाम से दुकान भी है,यहा कि प्रार्थिनी के घर पर दिनांक 12.1.2025 को दोपहर उक्त लोग आये और कहे कि एक लाख रुपया और दो तब वीजा बनवा करके देगें प्रार्थिनी ने कहा कि दो लाख से अधिक ले लिये है और फर्जी वीजा व फर्जी टिकट बनवा करके भेजे है और एक लाख रुपया चाहिए नहीं दूंगी मेरा जितना रुपया लिये है दे दीजिए तभी जाने इसी पर पुलिस वालो को बुलाये और पुलिस वाले आये उन लोगो को लिवाकर ले गये और पुलिस और उक्त लोग कहे कि 15 दिन मे रुपया दे देगे परन्तु अब फोन नहीं उठा रहे है प्रार्थिनी को दिनांक 12.1.2025 को पासिन साली माँ बहन की गालियाँ दिये थे और कहे कि अतीक अहमद के आदमी हैं कोई कुछ नहीं कर पायेगा ।

4. विद्वान् विशेष अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पैसे की ठगी की गई है। जमानत के आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये ।

5. वादिनी मुकदमा मैना देवी पत्नी प्रदीप कुमार पासी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो एक शपथपत्र इस आशय से दाखिल किया गया कि शपथकर्ती मुकदमा वादिनी है और अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत करना नहीं चाहती।

6. न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में तहरीर के अनुसार प्रार्थी/ अभियुक्त ने सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पति के साथ ठगी की, वादिनी मुकदमा को गाली दिया उसे अपमानित किया। प्रार्थी/ अभियुक्त दिनांक 27.02.2026 से अंतरिम जमानत पर हैं, मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त के द्वारा विवेचना में सहयोग किया गया है, प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया। वादिनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति दाखिल न करने हेतु शपथ पत्र दिया गया है। थाने की आख्यानुसार प्रार्थी/अभियुक्त का कोई अपराधिक

इतिहास नहीं है अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण दोष पर विचार व्यक्त किये बिना प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है, तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

प्रार्थी / अभियुक्त राजू उर्फ शाहिद अली पुत्र मोहम्मद अली, निवासी ग्राम मकान नंबर 177 जे.के. नगर करेली थाना करेली जिला प्रयागराज, का जमानत पत्र सम्बंधित सम्बंधित मु०अ०सं०-115/2025, धारा- 316(2), 352 बी०एन०एस०, धारा- 3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना-औराई, जिला-भदोही स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी / अभियुक्त को 20,000/- रुपये की दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाये:

1. प्रार्थी / अभियुक्त बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जायेगा और अपने निवास को परिवर्तित नहीं करेगा ।
2. प्रार्थी / अभियुक्त साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा ।
3. प्रार्थी / अभियुक्त दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा और विचारण में सहयोग करेगा ।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पर जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

दिनांक 10.03.2026

(डॉ० अमित वर्मा )

आई. डी.-यू.पी.2412

विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट

भदोही-ज्ञानपुर।